


एंटीरैगिंग कमेटी
विवेक कॉलेज ,बिजनोर
नोटिस

२९अगस्त २०१९

एंटी रैगिंग कमेटी एवं स्कवाड के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय परिसर में अलग-अलग स्थानों पर शिकायत पेटिका लगी हुई हैं उन्हें दिनांक ३१अगस्त २०१९ को सायं ३.०० बजे खोला जायेगा। उस समय आप की उपस्थिति वांछनीय है ।

धन्यवाद ।







हस्ताक्षर(समन्वयक)
(डा० राजीव चौधरी)

विवेक कॉलेज ,बिजनोर

बैठक का कार्यवृत्त


शैक्षिक सत्र २०१९ -२०२०

आज दिनांक ३१अगस्त२०१९ को एंटी रैगिंग समिति की बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे ।

- 1.डा० दीप्ति डिमरी (चेयरपर्सन)
- २.श्री सर्वेश कुमार शीतल (सदस्य) 
- 3.डा० पुष्पा जोशी (सदस्य) 
- 4.श्री अनुज शर्मा(सदस्य) 
- 5.श्री नवाज (MSW) (सदस्य पी.जी. स्टूडेंट)
- 6.मिस सोनाक्षी गोयल(सदस्य पी.जी. स्टूडेंट)
- 7.श्री अदित्यावीर सिंह (सदस्य यू.जी. स्टूडेंट)
- 8.श्री आकाश मित्तल (सदस्य यू .जी. स्टूडेंट)
- 9.श्री विकास कुमार(सदस्य,अभिभावक)
- 10.श्री एल के जोशी (सदस्य,अभिभावक)
- 11.डा० राजीव चौधरी(समन्वयक) 

समिति के कार्यालय,कॉलेज के मुख्या द्वार एवं कॉलेज के प्राचार्य के कार्यालय के बाहर शिकायत पेटिका लगी हुई हैं जिन्हें खोलने पर पाया गया कि पेटिकाएं रिक्त हैं ।

एंटी रैगिंग स्क्वाड के सतत प्रयासों एवं भ्रमण के कारण किसी भी छात्र/छात्रा को रैगिंग में संलिप्त नहीं पाया गया और न ही किसी छात्र/छात्रा समिति एवं स्क्वाड से इस सन्दर्भ में कोई शिकायत दर्ज करवाई ।


हस्ताक्षर(समन्वयक)

(डा० राजीव चौधरी)

एंटीरैगिंग कमेटी
विवेक कॉलेज ,बिजनोर
नोटिस

२९जुलाई२०१९

एंटी रैगिंग कमेटी एवं स्ववाड के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय परिसर में अलग-अलग स्थानों पर शिकायत पेटिका लगी हुई हैं उन्हें दिनांक ३१ जुलाई२०१९ को सायं ३.०० बजे खोला जायेगा। उस समय आप की उपस्थिति वांछनीय है ।

धन्यवाद ।







हस्ताक्षर(समन्वयक)
(डा० राजीव चौधरी)

विवेक कॉलेज ,बिजनोर

बैठक का कार्यवृत्त

शैक्षिक सत्र २०१९ -२०२०

आज दिनांक ३१जुलाई२०१९ को एंटी रैगिंग समिति की बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे ।

- 1.डा० दीप्ति डिमरी (चेयरपर्सन)
- २.श्री सर्वेश कुमार शीतल (सदस्य) 
- 3.डा० पुष्पा जोशी (सदस्य) 
- 4.श्री अनुज शर्मा(सदस्य) 
- 5.श्री नवाज (MSW) (सदस्य पी.जी. स्टूडेंट)
- 6.मिस सोनाक्षी गोयल(सदस्य पी.जी. स्टूडेंट)
- 7.श्री अदित्यावीर सिंह (सदस्य यू.जी. स्टूडेंट)
- 8.श्री आकाश मित्तल (सदस्य यू .जी. स्टूडेंट)
- 9.श्री विकास कुमार (सदस्य,अभिभावक)
- 10.श्री एल के जोशी (सदस्य,अभिभावक)
- 11.डा० राजीव चौधरी(समन्वयक) 

समिति के कार्यालय,कॉलेज के मुख्य द्वार एवं कॉलेज के प्राचार्य के कार्यालय के बाहर शिकायत पेटिका लगी हुई हैं जिन्हें खोलने पर पाया गया कि पेटिकाएं रिक्त हैं ।

एंटी रैगिंग स्क्वाड के सतत प्रयासों एवं भ्रमण के कारण किसी भी छात्र/छात्रा को रैगिंग में संलिप्त नहीं पाया गया और न ही किसी छात्र/छात्रा समिति एवं स्क्वाड से इस सन्दर्भ में कोई शिकायत दर्ज करवाई ।


हस्ताक्षर(समन्वयक)


(डा० राजीव चौधरी)

एंटी रैगिंग कमेटी
विवेक कॉलेज, बिजनौर
नोटिस

अगस्त, ८ २०१९

एंटी रैगिंग एवं स्क्वाड के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 09अगस्त२०१९ को सायं ३-०० बजे एंटी रैगिंग कार्यालय में सत्र २०१९-२०२० के लिए कार्यप्रणाली का निर्धारण किया जाना है अतः आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है ।

धन्यवाद ।



हस्ताक्षर(समन्वयक)

(डा० राजीव चौधरी)






एंटी रैगिंग कमेटी विवेक कॉलेज, बिजनौर

बैठक की कार्यवाही

अगस्त, ९ २०१९

आज दिनांक ९ अगस्त २०१९ को एंटी रैगिंग कमेटी के कार्यालय में कमेटी की बैठक हुई जिसमें नवीन सत्र २०१९-२० के लिये कार्य प्रणाली तैयार की गयी एवं सत्र २०१९-२० के लिए कमेटी एवं स्क्वाड के नए सदस्यों का चुनाव भी किया जाना है।

सभा में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे

- १-डा० पुष्पा जोशी (सदस्य) 
- २-डा० सुरेश सिंह (सदस्य) 
- ३-श्री सर्वेश शीतल (सदस्य) 
- ४ श्री प्रांशु कुमार (सदस्य) 
- ५ श्री सौरभ सिंह (गैर शैक्षणिक सदस्य) 

बैठक की कार्यवाही सायं ३.०० बजे प्रारम्भ हुई। बैठक में निम्नलिखित कार्य योजना तैयार की गई।

१. एंटी रैगिंग स्क्वाड निरंतर सतत रहकर यह सुनिश्चित करेगा कि महाविद्यालय प्रांगण में रैगिंग न हो।
२. एंटी रैगिंग स्क्वाड कैंटीन, बस, मैदान, आदि की निरंतर चौकींग करे।
३. बसों के समस्त चालकों को भी इस बारे में जानकारी दी जाये ताकि वह बसों में ध्यान रखें की रैगिंग न हो पाए। यदि ऐसा होता है तो इसकी सूचना तुरन्त एंटी रैगिंग स्क्वाड को दें।
४. एंटी रैगिंग स्क्वाड का विवरण एवं फोन नम्बर महाविद्यालय में जगह-जगह लगाया जाये।



५ राष्ट्रीय रैगिंग हेल्प लाइन व ई-मेल से सबको अवगत कराया जाये जो इस प्रकार हैं

राष्ट्रीय रैगिंग निषेध हेल्पलाइन

निःशुल्क फोन न०: **1800-180-5522**


ई-मेल: helpline@antiragging.in

६. एंटी रैगिंग कमेटी एवं स्क्वाड द्वारा रैगिंग हो सकने वाले स्थानों की पहचान कर उस पर गहन दृष्टि रखी जाए।

७. नये छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों का यह दायित्व होगा कि रैगिंग से सम्बन्धित सूचना संस्थाध्यक्ष को प्रदान करें।

८. एंटी रैगिंग कमेटी तथा स्क्वाड के नए सदस्यों का सर्वसम्मति से चुनाव भी किया गया। साथ ही साथ कमेटी के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए मेटरिंग कमेटी का भी गठन किया गया। नवीनतम सदस्यों की सूची संलग्न है।

समस्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए। उपरोक्त प्रस्तावों का अनुपालन कर स्क्वाड अपनी आख्या एंटी रैगिंग समन्वयक को प्रस्तुत करें। अन्य कोई विचार विमर्श हेतु विषय न होने के कारण बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई।



समन्वयक

(डॉ.राजीव चौधरी)

Vivek College of Education, Bijnor

Anti-Ragging Committee

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Deepti Dimri | - Chairperson |
| 2. Mr. Servesh K Sheetal | - Member |
| 3. Dr. Pushpa Joshi | - Member |
| 4. Mr. Anuj Sharma | - Member |
| 5. Mr. Nawaj (MSW) | - Member (PG Student) |
| 6. Ms. Sonakshi Goyal (M.Sc) | - Member (PG Student) |
| 7. Mr. Aditya Veer Singh (BCA) | - Member (UG Student) |
| 8. Mr. Akash Mittal (B.Com) | - Member (UG Student) |
| 9. Mr. Vikas Kumar | - Member (Parent) |
| 10. L.K. Joshi | - Member (Parent) |
| 11. Dr. Rajeev Chaudhary | - Coordinator |

Anti-Ragging Squad

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Rajeev Chaudhry | - Convener |
| 2. Dr. Sanjay Tyagi | - Member |
| 3. Mr. Harjeet Singh | - Member |
| 4. Dr. Pushpa Joshi | - Member |
| 5. Mr. Saurabh Chaudhry | - Non Teaching Member |

Monitoring Cell

1. Dr. Deepti Dimri
2. Dr. Rajeev Chaudhry
3. Dr. Pushpa Joshi
4. Ms. Kajal

R. Chaudhary


एंटी रैगिंग स्क्वाड
विवेक कॉलेज, बिजनौर
निरीक्षण आख्या

१० अगस्त २०१९

एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक दिनांक ०९-०८-२०१९ के सन्दर्भ में आज दिनांक १०-०८-२०१९ को कॉलेज के उन सभी स्थानों का, जहाँ रैगिंग की संभावना अधिक होती है, औचक निरीक्षण किया गया परन्तु कोई भी छात्र/छात्रा रैगिंग करते हुए न यो देखा गया और न ही किसी ने कोई शिकायत की।


संलग्नक


निरीक्षण के समय ली गई तस्वीरें।




एंटी रैगिंग स्क्वाड


① Pullu

② 

③ 

④ 

⑤ 



R. [Signature]



R. K. S.




R. [Signature]

एंटी रैगिंग कमेटी
विवेक कॉलेज, बिजनौर
नोटिस

२०जून२०१९

एंटी रैगिंग कमेटी के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनांक २२ जून २०१९ को सायं ३-०० बजे एंटी रैगिंग कार्यालय में आगामी सत्र २०१९-२०२० के लिए कार्ययोजना का निर्धारण किया जाना है अतः आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है ।

धन्यवाद ।



हस्ताक्षर(समन्वयक)

(डा० राजीव चौधरी)

एंटी रैगिंग कमेटी
विवेक कॉलेज, बिजनौर

बैठक की कार्यवाही

२२ जून २०१९

आज दिनांक २२ जून २०१९ को एंटी रैगिंग कमेटी के कार्यालय में कमेटी की बैठक हुई जिसमें नवीन सत्र २०१९-२० के लिये कार्य योजना तैयार की गयी। सभा में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे

१-डा० पुष्पा जोशी (सदस्य)




२-डा० सुरेश सिंह (सदस्य)



३-श्री सर्वेश शीतल (सदस्य)



४ श्री प्रांशु कुमार (सदस्य)



५ श्री सौरभ सिंह (गैर शैक्षणिक सदस्य)



बैठक की कार्यवाही सायं ३.०० बजे प्रारम्भ हुई। बैठक में निम्नलिखित कार्य योजना तैयार की गई।

१- इस बात को सुनिश्चित किया जाये कि महाविद्यालय प्रांगण में रैगिंग न हो पाए।

२- महाविद्यालय प्रांगण में अलग-अलग स्थान पर जैसे गैलरी, कैंटीन गेट, आदि में एंटी रैगिंग से सम्बंधित प्रचार सामग्री लगाई जाये और सभी कैमरों को भी चैक किया जाये।

३- सभी विभागों के प्रवक्ताओं और नान-टीचिंग स्टाफ को इस बारे में सतर्क रहने के लिए कहा जाये।

४- महाविद्यालय की बसों के समस्त चालकों को भी इस बारे में जानकारी दी जाये ताकि वह बसों में ध्यान रखें की रैगिंग न हो पाए।

५. वरिष्ठ छात्रों के साथ मीटिंग करके उन्हें रैगिंग करने के परिणामों के बारे में समझाया जाये।

६. एंटी रैगिंग स्क्वायड का विवरण एवं फोन नम्बर महाविद्यालय में जगह-जगह लगाया जाये।



७. सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि २७ जून २०१९ को महाविद्यालय में रैगिंग के विरुद्ध एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में होगा। इसके मुख्य वक्ता श्री योगेश कुमार सिविल जज (पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) होंगे।

सभी सदस्य उपरोक्त कार्ययोजना से पूर्ण रूप से सहमत रहे एवं योजना को नवीन सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व क्रियान्वयन के लिए सहमती जताई।

८. यह भी तय पाया गया कि विवेक कॉलेज ऑफ एजुकेशनके प्रवेश कार्यालय को सूचित किया जाये कि वेह सत्र २०१९-२० में गत वर्षों की भांति प्रवेश लेने वाले सभी छात्र/छात्राओं से प्रवेश के समय माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार रैगिंग न करने हेतु उचित प्रारूप पर शपथ पत्र अवश्य प्राप्त करें।

अन्य कोई विषय विचार हेतु न होने के कारण समन्वयक महोदय ने आज की बैठक की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की।



हस्ताक्षर(समन्वयक)

(डा० राजीव चौधरी)

Report

on

An Awareness Programme

Say No to Ragging

On 27th June 2019, Organized by

Vivek College of Education, Bijnor


In co-ordination with

District Legal Services Authority, Bijnor

Submitted By :

Anti – Ragging Cell

Vivek College of Education, Bijnor



Ragging is a social evil and inhuman practice, which has disturbed the lives of many students and have forced some, even to end their lives. And as new session of 2019-2020 is going to begin soon, so it was very necessary to spread awareness about the evil of ragging and its evil consequences among the new as well as old students.

Hence, our Vivek College of Education, Bijnor took the initiative and thereby, an awareness programme was organized in Vivek College of Education, Bijnor on 27th June 2019, Thursday, on the theme "Say No to Ragging", in co-ordination with District Legal Services Authority, Bijnor.

It was being organized, to increase awareness among students, about ragging and its adverse effects on them and what are the different measures and remedies, available to them, to protect themselves, from being a victim, of such offences.

Ragging in any form, is punishable by law and so we should be cautious enough, not to indulge in it, otherwise it might ruin our education, careers and even our entire lives. UGC has issued strict guidelines to prevent ragging in educational institutions.

The Vivek College of Education, Bijnor is quite active and strict to the issue of ragging and shows zero tolerance attitude towards ragging among students to make the campus environment healthy and ragging free.

And for this purpose, it has formed well co-ordinated and effective **Anti-Ragging cell** which comprises of following members :

1. **Dr. Deepti Dimri** (Chairperson)
2. **Mr. Servesh Kumar Sheetal** (Member)
3. **Dr. Pushpa Joshi** (Member)
4. **Mr. Anuj Sharma** (Member)
5. **Mr. Nawaz (M.S.W)** (Member - PG Student)
6. **Ms. Sonakshi Goel (M. Sc)** (Member - PG Student)
7. **Mr. Adityaveer Singh (BCA)** (Member - UG Student)
8. **Mr. Akash Mittal (B.Com)** (Member - UG Student)
9. **Mr. Vikas Kumar** (Member - Parent)
10. **Mr. L K Joshi** (Member - Parent)
11. **Dr. Rajeev Chaudhary** (Co-ordinator)

The Chief Guests of the programme were *Shri Yogesh Kumar*, [Civil Judge And Secretary, DLSA, Bijnor], *Shri Praveen Singh Deshwal*, (Senior Advocate), *Shri Harpal Singh Ji*, (Ex. DGC Civil), and other advocates of Bijnor District Bar Association.



Besides them, **Dr. O.P. Gupta**, (Director Administration, Vivek College of Education, Bijnor), Dr. Deepti Dimri, (Principal, Vivek College of Education, Bijnor and Chairperson of Anti-Ragging Cell of Vivek College of Education, Bijnor).

Dr. Rajeev Chaudhary, (Mentor, Vivek College of Education, Bijnor) and other Faculty members of Education Department were also present. The anchors of the Program were **Mr. Gaurav Chaudhary** and **Miss Akansha Sharma**.

The Program started with the welcome of guests, followed with Maa Saraswati Pooja, with the lightning of the lamp. The guests were then honored with garlands and shawls, by the faculty members of Vivek College of Education, Bijnor. The seminar began with the introduction of the topic and its importance in society and a short video was also shown.

First of all, **Dr. O.P. Gupta**, Director Administration, Vivek College of Education, Bijnor was invited to deliver the Keynote Address on the topic. Dr. Gupta described the history of introduction of Ragging culture in educational institutions and its gradual journey of change to an offence by various factors.

Shri Praveen Singh Deshwal, elaborately described the acts of ragging and related laws and when such acts amounts to an offence as to attract punishments under different provisions of Indian Penal Code, 1860.



Shri Harpal Singh Ji, discussed the functioning of District legal services authority and how it is aiming to eliminate social evils like ragging etc. from higher education by spreading legal awareness programs. He also emphasized on need of respectful attitude of students towards their parents as well as teachers.



Shri Yogesh Kumar, [Chief Guest of the programme], emphasized on need of focus of students towards their education and career, thereby avoiding indulgence in acts of ragging and to have a loving and helping attitude towards juniors to earn their real respect. He also advised students to have a practical attitude towards life and to remember that they are the future of their families.

Finally, ***Dr. Rajeev Chaudhary***, Chief Proctor greeted the vote of thanks and he also emphasized on developing social and moral values in students character, besides their academic scores as well as channelizing their energies in extra-curricular activities, which also improves harmony and co-ordination among them.

The program concluded with the National Anthem.

Thank You.

PHOTOGRAPHS





Amr Ujala 28 June 2019

कॉलेजों में रैगिंग करना अपराध

विवेक कॉलेज में एंटी रैगिंग गोष्ठी का आयोजन, छात्र-छात्राओं को दी गई जानकारी

अमर उजाला ब्यूरो

बिजनौर। विवेक कॉलेज में बृहस्पतिवार को एंटी रैगिंग गोष्ठी के अंतर्गत 'से टू नो रैगिंग' कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि सिविल जज योगेश कुमार ने कहा कि छात्र अपने और अपने परिवार का भविष्य होते हैं। उन्होंने कहा कि रैगिंग एक अपराध है, विद्यार्थियों को अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अपराधों पर नहीं।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीन सिंह देशवाल ने बताया कि किन परिस्थितियों में रैगिंग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध बन जाती है। पूर्व शासकीय अधिवक्ता हरपाल सिंह ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विवेक कॉलेज जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा रैगिंग जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

यह एक सराहनीय कदम है। प्रशासनिक निदेशक ओपी गुप्ता ने



बिजनौर में विवेक कॉलेज में एंटी रैगिंग गोष्ठी का को संबोधित करते मुख्य वक्ता। अमर उजाला


शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग का इतिहास बताते हुए कहा कि छात्रों के बीच सामान्य परिचय की गरिमापूर्ण परंपरा को पारश्चात्य संस्कृति ने रैगिंग जैसी बुराई में बदल दिया। यह सर्वथा निन्दनीय है। इस तरह के कार्यों से शिक्षण संस्थान तो बदनाम होते ही हैं, साथ ही छात्र-छात्राओं का भविष्य भी खराब होता है। प्राचार्य राजीव चौधरी ने कहा कि अगर माता-पिता और गुरु छात्र/छात्रा के सामाजिक विकास

पर भी ध्यान दें तो रैगिंग जैसी घटनाएं नहीं होंगी। इस अवसर पर डॉ. पुष्पा जोशी, डॉ. अरविंद कुमार, विनय कुमार, हिमाद्री शर्मा, डॉ. निलम शर्मा, आकांक्षा शर्मा, अंकित कुमार, गौरव चौधरी मौजूद रहे।

विवेक कॉलेज में एंटी रैगिंग पर गोष्ठी का

बिजनौर (बि.टा.)। विवेक कॉलेज में गुरुवार को एंटी रैगिंग कार्यक्रम 'से टू नो रैगिंग' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिविल जज योगेश कुमार ने कहा कि छात्र अपने और अपने परिवार का भविष्य होते हैं।

रैगिंग जैसी घटनाओं से उनका भविष्य खराब हो सकता है, यह एक अपराध है, उन्होंने विद्यार्थियों को अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीन सिंह देशवाल ने रैगिंग सम्बन्धी कानूनों की व्याख्या करते हुए छात्र/छात्राओं को बताया कि किन परिस्थितियों में रैगिंग भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत



बिजनौर में विवेक कॉलेज में एंटी रैगिंग गोष्ठी का को संबोधित करते मुख्य वक्ता। अमर उजाला

द्वारा रैगिंग जैसी बुराइयों को दूर करने के लिये कार्य कर रहे हैं। यह एक सराहनीय कदम है। प्रशासनिक निदेशक डा. ओ. पी. गुप्ता ने शिक्षण संस्थानों में रैगिंग का इतिहास बताते हुए कहा कि छात्रों के बीच सामान्य परिचय की गरिमापूर्ण परंपरा को पारश्चात्य संस्कृति ने रैगिंग जैसी बुराई में बदल दिया जो सर्वथा निन्दनीय।

प्राचार्य डा. राजीव चौधरी ने रैगिंग के बारे में सैधानिक उपबन्धों का हवाला देते हुए कहा कि अगर माता-पिता और गुरु छात्र/छात्रा के सामाजिक विकास पर भी ध्यान दें तो रैगिंग जैसी घटनायें नहीं होंगी। उन्होंने सभी अतिथियों का आभार भी व्यक्त किया।

Bihar Times 28 June 2019

रैगिंग एक अपराध, खराब हो सकता है भविष्य: योगेश

विवेक कॉलेज में एन्टी रैगिंग पर गोष्ठी संपन्न

● मुख्य संवाददाता, बिजनौर

विवेक कॉलेज में एन्टी रैगिंग कार्यक्रम 'से टू नो रैगिंग' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिविल जज योगेश कुमार ने कहा कि छात्र अपने और अपने परिवार का भविष्य होते हैं। उन्हें रैगिंग जैसी घटनाओं से उनका भविष्य खराब हो सकता है, यह एक अपराध है विद्यार्थियों को अपने भविष्य पर ध्यान केन्द्रित करने पर जोर दिया।

गुरुवार को विवेक कालेज के सभागार में आयोजित गोष्ठी शुभारंभ मुख्य अतिथि योगेश कुमार सिविल जज पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वरिष्ठ अधिवक्ता हरपाल सिंह, प्रवीन सिंह देशवाल, महाविद्यालय चैयरमैन अमित गोयल, सचिव दीपक मित्तल,



बिजनौर के विवेक कालेज में आयोजित गोष्ठी में विचार रखते वक्ता।

■ छाया : जनवाणी

कोषाध्यक्ष धर्मेन्द्र अग्रवाल, प्रशासनिक निदेशक डा. ओपी गुप्ता और प्राचार्य डा. राजीव चौधरी ने सरस्वती के समक्ष संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। गोष्ठी में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीन सिंह देशवाल ने रैगिंग संबंधी कानून की व्याख्या करते

हुए छात्र/छात्राओं को बताया कि किन परिस्थितियों में रैगिंग भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अपराध बन जाती है। पूर्व शासकीय अधिवक्ता हरपाल सिंह ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विवेक कॉलेज जागरुकता कार्यक्रम

के द्वारा रैगिंग जैसी बुराइयों को दूर करने के लिये कार्य कर रहे हैं, यह एक सराहनीय कदम है। प्रशासनिक निदेशक डा. ओपी गुप्ता ने शिक्षण संस्थायों में रैगिंग का इतिहास बताते हुए कहा कि छात्रों के बीच सामान्य परिचय की गरिमापूर्ण परंपरा को पाश्चात्य संस्कृति ने रैगिंग जैसी बुराई में बदल दिया, जो सर्वथा निंदनीय है। प्राचार्य डा. राजीव चौधरी ने रैगिंग के बारे में संवैधानिक उपबंधों का हवाला देते हुए कहा कि अगर माता-पिता और गुरु छात्र/छात्रा के सामाजिक विकास पर भी ध्यान दे, तो रैगिंग जैसी घटनाएँ नहीं होगी। इस अवसर पर प्रवक्तागण डा. पुष्पा जोशी, डा. अरविन्द कुमार, विनय कुमार, हिमाद्री शर्मा, डा. नीलम शर्मा, आकांक्षा शर्मा, अंकित कुमार, गौरव चौधरी, डा. हितेश शर्मा एवं बडी संख्या में छात्र/छात्राये उपस्थित रहे।

छात्र होता है परिवार का भविष्य

बिजनौर। विवेक कॉलेज में आज एन्टी रैगिंग कार्यक्रम 'से टू नो रैगिंग' कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि सिविल जज योगेश कुमार ने कहा कि छात्र अपने और अपने परिवार का भविष्य होते हैं, उन्हें रैगिंग जैसी घटनाओं से उनका भविष्य खराब हो सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीन सिंह देशवाल ने रैगिंग संबंधी कानूनों की व्याख्या करते हुए छात्र-छात्राओं को बताया कि किन परिस्थितियों में रैगिंग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध बन जाती है। पूर्व शासकीय अधिवक्ता हरपाल सिंह, प्रशासनिक निदेशक डॉ. ओपी गुप्ता, मुख्य अतिथि योगेश कुमार सिविल जज पूर्णकालिक सचिव आदि मौजूद रहे।



Say No to Ragging

An awareness programme

27 June, 2019

Organized by

Vivek College Bijnor


In co-ordination with

District Legal Service Authority, Bijnor
(DLSA)



Vivek College Bijnor

Ragging-Free Campus




SAY NO TO RAGGING

For Any Complaints Immediately Call :
Vivek College Anti-Ragging Cell
Chief Proctor - 7055604042 , 8057100200

Ragging is a Crime. Don't Ruin Your Future.

**RAGGING IS A PUNISHABLE OFFENCE!
DON'T INDULGE IN RAGGING.**



Say No to Ragging



SAY **NO** TO
RAGGING

**DON'T BE A MUTE SPECTATOR TO RAGGING
REPORT RAGGING INCIDENTS IMMEDIATELY.**

WHAT IS RAGGING ?

ANY ACT RESULTING IN :

- MENTAL / PHYSICAL / SEXUAL ABUSE
- VERBAL ABUSE
- INDECENT BEHAVIOUR
- CRIMINAL INTIMIDATION / WRONGFUL RESTRAINT
- UNDERMINING HUMAN DIGNITY
- FINANCIAL EXPLOITATION / EXTORTION
- USE OF FORCE

STOP RAGGING !

A STUDENT INDULGING IN RAGGING CAN BE:



- EXPELLED FROM THE INSTITUTION
- BANNED FROM THE HOSTEL
- HIS/HER SCHOLARSHIP CAN BE WITHDRAWN
- DEBARRED FROM EXAMS
- DENIED ADMISSION TO ANY INSTITUTION
- PROSECUTED FOR CRIMINAL ACTION
- INSTITUTION HAVE BEEN ASKED TO FILE THE FIR WITH LOCAL POLICE AGAINST THOSE WHO RAG/ABET RAGGING.

Vivek College Bijnor

**ARE YOU BEING Ragging-Free Campus
RAGGED ?**



**For Any Complaints Immediately Call :
Vivek College Anti-Ragging Cell
Chief Proctor - 7055604042 , 8057100200**



एंटी रेंगिंग कमेटी


विवेक कॉलेज बिजनौर

नोटिस

25 मई 2019

एंटी रेंगिंग कमेटी के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 26 मई 2019 को सायं 3:00 बजे एंटी रेंगिंग कार्यालय में आगामी सत्र 2019-2020 के लिए कार्ययोजना का निर्धारण किया जाना है। अतः आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है।

धन्यवाद






हस्ताक्षर (समन्वयक)
(डा० राजीव चौधरी)

एंटी रैगिंग कमेटी

विवेक कॉलेज बिजनौर बैठक की कार्यवाही

26 मई 2019

आज दिनांक 26 मई 2019 को एंटी रैगिंग कमेटी के कार्यालय में कमेटी की बैठक हुई जिसमें नवीन सत्र 2019-20 के लिए कार्य योजना तैयार की गयी। सभा में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे।

1. डा० पुष्पा जोशी (सदस्य)
2. डा० सुरेश सिंह (सदस्य) 
3. श्री सर्वेश शीतल (सदस्य) 
4. श्री प्रांशु कुमार (सदस्य) 
5. श्री सौरभ सिंह (गैर शैक्षणिक सदस्य) 

बैठक की कार्यवाही सायं 3:00 बजे प्रारम्भ हुई। बैठक में निम्नलिखित कार्य योजना तैयार की गई।


1. इस बात को सुनिश्चित किया जाये कि महाविद्यालय प्रांगणों शिक्षण सत्र 2019-20 में रैगिंग न हो पाए।
2. महाविद्यालय प्रांगण में अलग-अलग स्थान पर जैसे गैलरी , कैटीन गेट, आदि में एंटी रैगिंग से सम्बन्धित प्रचार सामग्री लगाई जाये और सभी कैमरों को भी चैक किया जाये कि वह सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।
3. सभी विभागों के प्रवक्ताओं और नांन टीचिंग स्टाफ को इस बारे में सतर्क रहने के लिए कहा जाये।



4. महाविद्यालय की बसों के समस्त चालकों को भी इस बारे में जानकारी दी जाये ताकि वह बसों में ध्यान रखें की रैगिंग न हो पाए और बसों के कैमरों को भी चैक किया जाये।
5. वरिष्ठ छात्रों के साथ मीटिंग करके उन्हें रैगिंग करने के परिणामों के बारे में समझाया जाये।
6. एंटी रैगिंग स्वचायड का विवरण एवं फोन नम्बर महाविद्यालय में जगह-जगह लगाया जाये।


सभी सदस्य उपरोक्त कार्ययोजना से पूर्ण रूप से सहमत रहे एवं योजना को नवीन सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व क्रियान्वयन के लिए सहमति जताई।

आज की बैठक की कार्यवाही यही पर समाप्त की जाती है।



हस्ताक्षर (समन्वयक)

(डा० राजीव चौधरी)



FEEDBACK FORM FROM STUDENTS
ANTI RAGGING CELL
VIVEK COLLEGE ,BIJNOR

Class :

Semester:

Answer the following.

1 .Are you in favour/against of ragging?

2. How was your first day in college?

3. How was your first week in the college?

4. Did you face ragging in the college?

A handwritten signature in green ink, possibly reading "R. Sharma", is located in the bottom right corner of the page.

5 (i). If yes, how long did the ragging last?

6 (ii) .What type of ragging did you face?

7 .How did your seniors behave with you?

8. Was there physical abuse?

9.How did you feel in the company of seniors?

(i) Frustrated, (ii) impressed, (iii) enjoyed

10 .Did your seniors tried to take you under their authority?

_11. How will you behave with your juniors?

12. Did your seniors make you aware of the rules and regulations of the college in mild manner?



13. Write something about your seniors and and give suggestion for college campus.

Signature of student.

R. Chandra

ANNEXURE II
AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. _____ (full name of parent/guardian) father/mother/guardian of _____ (full name of student with admission/registration/enrolment number) _____, having been admitted to _____ (name of the institution) _____, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that

a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Declared this ___ day of _____ month of _____ year.

Signature of deponent

Name:

Address:

Telephone/ Mobile No.:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (place) on this the (day) of (month), (year).

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the (day) of (month), (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

R. K. Sharma